न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी –पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 212/2008

1. नर्बदा पत्नि स्व0 श्री रामकिशोर शर्मा,
2. निर्मला पत्नि स्व0 श्री कैलाशचंद्र शर्मा,
3. जगदीशनारायण पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा,
4. हरिशरण पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा,
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. भारत संघ जरिये सचिव, जल एवं भूतल परिवहन मंत्रालय(सडक पथ) नई दिल्ली
2. महाप्रबंधक (बी0ओ0टी0) द्वितीय–ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जी–5 एवं 6 सैक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली–110075
3. भारत संघ जरिये मुख्य अधीक्षण अभियंता, नेशनल हाईवे क्रमांक–11 दौसा
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दौसा
5. श्रीमती उषा पत्नि स्व0 श्री कन्हैया लाल शर्मा, पत्नि रामबाबू उर्फ पप्पू जाति ब्राह्मण निवासी कूंथाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर
6. अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी पांचोली तहसील सिकराय।
7. सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी पांचोली तहसील सिकराय

...अप्रार्थीगण

रैफरेन्स याचिका ग्राम पांचोली तहसील सिकराय बाबत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 12.5.2006 के संबंध में पारित आदेश अवार्ड राशि बाबत दिनांक 28.3.2007 के उनवान प्रकरण भारत संघ बनाम श्री रामकिशोर शर्मा पुत्र श्री गौरीशंकर शर्मा की भूमि अवाप्ति बाबत प्रकरण संख्या 304/2007 भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय के क्रम में अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) एन. एच. एक्ट 1956

उपस्थिति– 1. श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 07.012021

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में आराजी खसरा नं0 22 व 40 भूमि स्थित है जो कि प्रार्थिया संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी सं0 2 लगायत 04 के पिता एवं अप्रार्थी सं0 5 लगायत 7 के दादा श्री रामकिशोर पुत्र गौंरीशंकर के कब्जे काश्त खातेदारी की स्वउपार्जित संपत्ति है। स्व0 श्री रामकिशोर ने जीवनकाल मे दिनांक 28.02. 2007 को रजिस्टर्ड वसीयत की हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के फोरलेनीकरण हेतु खसरा नं0 22 मे से 3920.45 वर्गमीटर भूमि एवं खसरा नं0 40 मे से 758.78 वर्गमीटर भूमि कुल 4679.23 वर्गमीटर भूमि अधिसूचना दिनांक 12.05.2006 के अनुसार अवाप्त की गई। भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स पेड, पौधे, आवासी पक्का निर्माण, होदिया पक्की, कच्ची बाउण्ड्रीवाल से हितधारी खातेदार को अन्य होने वाली क्षति आदि संबंधित विभिन्न विधिक वास्तविक आपत्तियो

के विधि सम्मत निस्तारण तथा अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने के विधिक अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अलटरनेटिवली भूमि एंव उस पर स्थित सभी स्ट्रेक्चर्स आदि के बाबत मुआवजा के निर्धारण करवाने संबंध मे कथित अवार्ड दिनांक 28.03.2007 की स्वीकार नहीं कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अवाप्ति की राशि एवं अन्य क्षति पूर्ति राशियों के सन्दर्भ मे पुनः निर्धारण हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी सिकराय से जवाब तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थिया संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी सं0 2 लगायत 04 के पिता एवं अप्रार्थी सं0 5 लगायत 7 के दादा श्री रामकिशोर पुत्र गौंरीशंकर के कब्जे काश्त खातेदारी की स्वउपार्जित संपत्ति आराजी खसरा नं0 22 व 40 वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा मे राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 के लगती हुयी उत्तर दिशा में स्थित है। रामकिशोर का स्वर्गवास होने पर प्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 वसीयती उतराधिकारी है। रामकिशोर ने जीवनकाल में दिनांक 28.02.2007 को रजिस्टर्ड वसीयत की है। रामकिशोर के अन्य उत्तराधिकारियों का कोई हक व हिस्सा मुआवजे में नहीं होगा। उक्त खसरा नं0 22 एवं 40 वाके ग्राम पॉचोली मे से क्रमशः 3920.45 वर्गमीटर एवं 758.78 वर्गमीटर भूमि अधिसूचना दिनांक 12.05.2006 के अनुसार अवाप्त की गई। उक्त भूमि प्रार्थीगण व उनके पति एवं पिता ने वर्षों पूर्व से अपने कब्जे काश्त व खातेदारी मे रही है। प्रार्थीगण हितधारी व्यक्तियों के हित धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंर्तगत एवं अवाप्ति कार्यवाही के संदर्भ मे मुआवजा अपने अपने हिस्से अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है। वसीयत के अनुसार नर्बदा देवी पत्नि स्व0 श्री रामकिशोर हिस्सा 1/5, कैलाश नारायण शर्मा (फौत) के स्थान पर पत्नि निर्मला देवी, जगदीश नारायण शर्मा, हरिशरण शर्मा पिसरान स्व0 रामकिशोर अथात् प्रार्थी संख्या 02 लगा0 04 प्रत्येक 1/5 हिस्से का मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं अप्रार्थीगण 5 लगा 7 मुआवजा संयुक्त रूप से हिस्सा 1/5 मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। अवाप्त शुदा भूमि की चतुर्थ सीमाएं भी दर्शित नही की गई हैं एवं नाप तोल क्षेत्रफल गलत अंकित है। अवाप्तशुदा भूमि पर जबरन तोड फोड, डोल, फसल, पेड पौधों को भूमि मे घुस कर नष्ट करने का कार्य 6–7 माह पूर्व ही विपक्षी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने शुरू कर दिया। भूमि अवाप्ति बाबत एवं अवार्ड जारी दिनांक 28.03.2007 की प्रार्थीगण व उनके पिता को कोई नोटिस /सूचना नही दी गई। भूमि अवाप्ति से होने वाले नुकसान की सक्षम अधिकारी एंव विपक्षी विभाग ने मौके की कोई रिपोर्ट तैयार नही करवायी। प्रार्थीगण ने क्लेम प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 05.06.2006 को मय दस्तावेज पेश किया गया। जिसमे प्रार्थीगण के पिता की भूमि का प्रचलित बाजार दर 2500/–रूपये के हिसाब से 4679.23 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा 1,16,98,075/–रूपये, बाउण्ड्रीवाल का मुआवजा 20,000/–रूपये, डौल की मिट्टी 500 ट्रोली दर 200/–रूपये कुल 1,00,000/–रूपये, रबी की फसल गेहूँ व चारे के नुकसान का कुल मुआवजा 21000/–रूपये, पेड पौधों का मुआवजा 2,00,000/–रूपये एवं मांग न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि 5,00,000/–रूपये, खसरा नं0 22 व 40 को खातेदारी भूमि के हिस्से को काबिल काश्त व विकसित करने में खर्चा पेटे कमशः 7,00,000/–रूपये व 15,000/–रूपये के अनुसार प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज दिनांक 05.06.2006 को भूमि अवाप्ति अधिकारी सिकराय को प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर नही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फरमाकर अवार्ड पारित किया है। उक्त अवार्ड एवं अन्य आवश्यक नकलों को प्राप्त कर उनका अवलोकन से पता लगा कि सक्षम अधिकारी ने पंचाट दिनांक 28.03.2007 खिलाफ पत्रावली कानून एवं विधि विरूद्ध मनमाने ढंग से पारित किया है। उक्त अवाप्त भूमि व्यावसायिक किस्म की संज्ञा मे आती है। जिसका बाजार भाव कम से कम 2500/–रूपये प्रति वर्गमीटर से कम नहीं था लेकिन सक्षम अधिकारी ने अच्छे लोकेशन की भूमि तथ्यों को नजरअन्दाज कर डीएलसी दर 146.28/–रूपये प्रति वर्गमीटर से मुआवजा तैयार कर प्रार्थीगण से साथ घोर अन्याय किया है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि गत 35 वर्ष से चाही है। जिसमें पुख्ता कूप,ट्यूबवेल, विद्युत का मोटर पम्प लगा है। लेकिन भू राजस्व अधिकारी कर्मचारियों ने उसका इन्द्राज न करने व भू प्रबन्ध कार्य नहीं होने से किश्म बारानी को दुरूस्त कर चाही का इन्द्राज नहीं किया गया है। उक्त तथ्य पर सक्षम अधिकारी द्वारा गौर नहीं किया है। अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे पर केवल मात्र 10प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि दी गई। अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थीगण को क्लेम प्रार्थना पत्र व याचिका प्रार्थना पत्र मे वर्णित मुआवजा व अन्य राशियां विधि के प्रावधानों के अनुसार नही अदा करना चाहते है तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11के दोनों साईड दौसा –जयपुर जिले में उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि के बदले उतनी ही भूमि दे दी जावे तो प्रार्थीगण तैयार है। भूमि अवाप्ति अधिकारी सिकराय के द्वारा अवार्ड संख्या 304/2007 दिनांक 28.03.2007 को पारित कर 7,52,926/–रूपये की राशि तय की गई। जिसकी सूचना प्रार्थीगण एवं उनके पिता को नहीं दी गई। प्रार्थी को धारा 3 सी के अंतर्गत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर किया गया। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि आबादी एवं औद्योगिक व वाणिज्यिक भारी क्षेत्र के निकट क्षेत्राधिकार मे स्थित है। इसमे निर्माण कार्य एवं आबादी भी स्थित है। प्रार्थीगण उक्त अवार्ड दिनांक 28.03.2007 का स्वीकार नहीं कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अवाप्त में प्रार्थीगण की वैधानिक आपत्तियों को प्रथमतः निस्तारण किया जाकर भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि एवं अन्य क्षतिपूर्ति राशि का पुन निर्धारण हेतु आदेश फरमावे।

पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म बारानी प्रथम अंकित होने के कारण कृषि भूमि की दर से ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 द्वारा बहस में दलील दी गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की उपधारा 1 के तहत एन एच 11 के महवा जयपुर खण्ड के फोरलेन कर उसका अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचारण के लिए अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की उपधारा 1 के तहत एन एच 11 के महवा जयपुर खण्ड के फोरलेन कर उसका अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचारण के लिए अवाप्त की जाने भूमि की अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना 12.05.2006 को जारी की गई। जिसे स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराया। जिसमे उल्लेख किया कि अर्जन की जाने वाली भूमि के हितबद्ध पक्षकार जिनकी अवाप्त की जाने वाली भूमि मे हित है। जिसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र मे जारी की गई जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों मे किया गया। धारा 3 सी के तहत अधिसूचना जारी करने के 21 दिवस के भीतर कोई व्यक्ति आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति का स्वीकार या अस्वीकार करेगा। उक्त अवाप्ति के संबंध मे प्रार्थी या अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे कोई आपत्ति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत नहीं की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 3 डी के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई जिसके आधार पर 3 डी की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 को जारी की गई। 3 डी अधिसूचना के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों, मौके की स्थिति, रिकॉर्ड के आधार पर मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया। खातेदार/हितधारियों को मुआवजे के संबंध में पूर्ण अवसर देते हुए सुनवाई की गई तथा साक्ष्य तथा सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर अवार्ड आदेश पारित किया गया। मुआवजा राशि की गणना उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर की गई एवं अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण राज्य सरकार के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 40 एवं 22 की अवाप्त शुदा भूमि क्रमशः 758.78 वर्गमीटर व 3920.45 वर्गमीटर की वर्ष 2006 की डीएलसी दर 146.28 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि का मुआवजा राशि क्रमशः 1,10,994/–रूपये व 5,73,483/–रूपये एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि कुल 7,52,926/–रूपये निर्धारित की गई। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र सरासर असत्य तथ्यों पर आधारित करते हुए सरासर गलत रूप से अपने आपको उक्त अवाप्तशुदा भूमि का स्वामी होना बताकर प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा रकबा का राजस्व अभिलेख के अनुसार किस्म के अनुसार मुआवजा नियमानुसार कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि के आवासीय होने बाबत तथ्यों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये है। अवार्ड की प्रति का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि प्रार्थीगण/हितबद्ध को मुआवजा राशि की गणना उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर से निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official